पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 181/2020

1. नरेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुनहरी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचंद मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 593/2 की 2.303है0 खसरा सं0 369/2 की 1.581है0 खसरा सं0 262/3 की 0.730है0 खसरा सं0 279 की 0.076है0 खसरा सं0 680 की 0.961है0 कुल 5.651है0 जो प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 नरेन्द्रकुमार वादी सं 2 सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

R.A.S.

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 181/2020

1. नरेन्द्रकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुनहरी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचंद मोठसरा : **वादीगण**

वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 09.03.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 593/2 की 2.303है0 खसरा सं0 369/2 की 1.581है0 खसरा सं0 262/3 की 0.730है0 खसरा सं0 279 की 0.076है0 खसरा सं0 680 की 0.961है0 कुल 5.651है0 जो प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मोमनराम की खातेदारी हुआ करती थी। मोमनराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ इकबालिया दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा इ[illegible] पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में [illegible] गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी संवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही भाडी संवत 2067–70 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण

Scanned with CamScanner

का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी संवत 2071–74 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही भाडी संवत 2067–70 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार ओमप्रकाश के दो पुत्र नरेन्द्रकुमार, सुभाषचन्द्र व एक पुत्री सुनहरी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा भाडी के खाता सं0 235/184 के खसरा सं0 593/2 की 2.303है0 खसरा सं0 369/2 की 1.581है0 खसरा सं0 262/3 की 0.730है0 खसरा सं0 279 की 0.076है0 खसरा सं0 680 की 0.961है0 कुल 5.651है0 जो प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 नरेन्द्रकुमार वादी सं 2 सुभाषचन्द्र व प्रतिवादी सं 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner